

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

गिता बनाम श्रीगती प्रेम देवी (वर्ग 2)

सम मुकदमा ..... 111-128 ..... no. 154 ..... सन 2022

5	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
22	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 28-10-22 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p> <p>उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पत्रिक है । अतः पत्रावली दिनांक 28-10-22 को पेश हो ।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p> <p>पत्रावली पेश करने के द्वारा न्यायिक कार्य को रोकने से पत्रावली दिनांक 27-10-22 को पेश हो ।</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित । विपक्षीगण के सम्मन वाद शामिल होकर खात हुए जिसे शांति छिये गये । विपक्षीगण के खिचकी वार कर कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही । उनके विकट एक तरफा कार्यवाही छिये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थीगण का शांति स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथम से लिया जाकर शांति छिया गया । पत्रावली फलतः अकार होकर नम्बर से कम हो ।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीतासीन अधिकारी - नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुक्तनामा संख्या- 154/22 मा0पप

1- शीता 010 श्री गोपीनाथ दाद निवासी कापड़िया तहसील-माण्डल (बी0)

-प्राणी

बनाम

श्रीमती प्रेमदेवी 4/0 6 आदीना-कन्नू न्यायोल निवासी कापड़िया तहसील-माण्डल [की0]  
(महापति प्रपत्र संख्या)

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22

::आदेश::

श्री ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम कापड़िया पटवार हल्का बावलारा तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आरजी नं. 1086/153 कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.4679 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आरजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये गेमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की शी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.09.22 को पंजीयद किया जाकर प्रकरण को न्नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का शी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकतर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते मेंक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कापड़िया पटवार कावलारा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 1086/153 कित्ता 0.1 रकबा 0.4679 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख शक कापड़िया को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पक्षकशान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार कर पत्थरगद्दी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर फालग रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा